

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक - वि०प्रा० (VI) छात्र समस्या-06/19
प्रेषक,

१५

/दिनांक:- 4-3-2020

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य, / प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महा०/
राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक
बिहार, पटना।

विषय:- छात्रावास में अनाधिकृत रूप से आवासन कर रहे छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि छात्रावास में वे ही छात्र आवासन करेंगे, जिन्हें संस्थान द्वारा विधिवत् सीट आवंटित किया गया है। यदि अनाधिकृत रूप से कोई छात्र या छात्रा, छात्रावास में आवासन कर रहे हैं, तो यह अनुचित है। छात्रावास में अनाधिकृत रूप से कोई छात्र नहीं रह रहा है इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक महीने में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विभागीय पदाधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में अनाधिकृत रूप से छात्रावास में आवासन कर रहे यदि किसी छात्रों को पाया जाता है तो संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

03-03-2020

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।